न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)

प्रकरण सं. नं० रजू

बदलू बनाम अध्यक्ष जयपुर डिस्काम

6.1.2022 वकील वादी उपस्थित। यह दावा वकील वादी ने पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी गण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी दिनांक 21.1.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

21.1.22 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 16.2.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

16.2.22 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 16.3.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

16.3.22 बकुलाए फरीकेन उप०/P.O. साहब छौट्टी पर है।
पत्रावली दिनांक 13.4.22 को पेश हो
रीडर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

कल्लू बनाम जयपुर डिस्कॉम

प्रकरण सं. 1/3/2022 तारीख रजू 06.1.22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
1.1.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब V.B.S.Y. है। कैम्प कार्य में व्यस्त को पेश हो। पत्रावली दिनांक 09/2/24 रीडर	
09.2.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली दीर्घावधि से तलबी में है। तलबी हेतु बार-बार अवसर प्रदान किये गये हैं। अंतिम अवसर के रूप में अनेक अवसर दिये गये हैं। इसके उपरांत आदिनांक तक प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पुनः तलबाना पेश नहीं किया है। सिविल प्र० संहिता के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में दावा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा CPC के आदेश 9 नियम 05 के आलोक में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	